

नगर निगम लखनऊ

प्रेषक,

मुख्य वास्तुविद्
नगर निगम, लखनऊ।

संख्या.../21.../मु0वा0/24
दिनांक ...8/10/24.....

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता-मा0 सेल
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
नवीन भवन, विपिन खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ।

विषय:-प्रस्तुत भवन मानचित्र श्री मनोज सिंह चौहान डेवलपर्स मेसर्स ओरो रियल इन्फ्रा एल0एल0पी0 द्वारा समूह आवास खसरा सं0-790, 791, 792ख, 864, 866, 867 पार्ट आफ लैण्ड खसरा नं0-784 स्थित ग्राम सरसवां तहसील-सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त पत्र सं0-एलडीए/बीपी/ 21-22/2499/ एनओसी, दिनांक-22.01.2022 के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

महोदय,

प्रस्तुत भवन मानचित्र श्री मनोज सिंह चौहान डेवलपर्स मेसर्स ओरो रियल इन्फ्रा एल0एल0पी0 द्वारा समूह आवास खसरा सं0-790, 791, 792ख, 864, 866, 867 पार्ट आफ लैण्ड खसरा नं0-784 स्थित ग्राम सरसवां तहसील-सरोजनी नगर, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त पत्र सं0-एलडीए/बीपी/ 21-22/2499/ एनओसी, दिनांक-22.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। नगर निगम स्तर पर परीक्षणोपरान्त प्रभावी निर्माकित शुल्क धनराशि हेतु जारी मांग पत्र संख्या-75/मु0वा0/24, दिनांक-07.10.2024 के क्रम में प्रार्थी द्वारा नगर निगम कोष में शुल्क धनराशि जमा करा दी गई है।

जोन	अनापत्ति निम्न शर्तों के साथ दी जा रही है:-
जोन-8 वार्ड-इब्राहिम पुर-प्रथम	1- भवन निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा। 2- नगर निगम की भूमि सम्पत्ति, फुटपाथ नाला, नाली, सड़क इत्यादि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
भूखण्ड का क्षेत्रफल 16489.89 वर्ग मीटर	3- भवन निर्माण हेतु सामग्री से कोई यातायात प्रभावित नहीं करेंगे। 4- भवन निर्माण सामग्री के अवशेष का निस्तारण सी एण्ड डी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के प्राविधानों के तहत किया जाएगा। 5- भवन निर्माण के समय यदि फुटपाथ, सड़क, नाली इत्यादि पर यदि कोई टूट-फूट होती है तो इसका निर्माण भवन स्वामी द्वारा किया जायेगा। 6- यह एनओसी मात्र इस आपय की है कि उक्त भूमि में नगर निगम की कोई सम्पत्ति नहीं है। स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का विवाद आदि होने से नगर निगम का कोई संबंध नहीं होगा। 7- यदि भविष्य में कहीं से भी यह तथ्य प्रकाश में आता है कि प्रशंगत भूमि नगर निगम की सम्पत्ति है तो अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा प्रजगत भूमि नगर निगम में निहित मानी जाएगी। 8- नगर निगम द्वारा इस शर्त पर एनओसी दी जा रही है कि भूमि के सम्बन्ध में नगर निगम को मात्र अनुरक्षण/प्रबंधन का अधिकार है। भूमि का स्वामित्व राजस्व विभाग के क्षेत्राधिकार में है। पत्र सं0-आर-520/पी0एस0/अध्यक्ष-राजस्व संहिता/राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ के दिनांक-30.08.2024 द्वारा यह स्थिति स्पष्ट की गयी है कि भूमि मूलतः राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन होती है। अतः एलडीए अपने स्तर से संलग्न ले-आउट तथा भूमि विवरण स्वामित्व आदि का तथा सरकारी भूमि आदि के संबंध में परीक्षण संबंधित तहसील के राजस्व विभाग से भी करा ले। 9- अवस्थापना सुविधाओं का विकास लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	अम्बार शुल्क	सुदृढीकरण / निरीक्षण शुल्क		कुल धनांक
		धनांक	धनांक	
52.976.00 वर्ग मी0	शासनादेशानुसार छूट प्रदान की गयी।	रसीद सं0 27810/27 दिनांक 08.10.2024	रसीद सं0 1,01,71,392/- दिनांक 10,59,520/- 08.10.2024	रु0 1,12,30,912.00/- (रु0 एक करोड़ बारह लाख तीस हजार नौ सौ बारह मात्र)

सम्पत्ति विभाग की आख्या दिनांक 25.09.2024 जोनल अधिकारी की आख्या 05.10.2024 अभियन्त्रण विभाग की आख्या दिनांक 07.10.2024 तथा अपर नगर आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.10.2024 के अनुपालन में प्रार्थी को 52.976.00 वर्ग मी0 आच्छादित क्षेत्रफल की अनापत्ति प्रदान किये जाने में नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है। यदि लखनऊ विकास प्राधिकरण से उक्त मानचित्र/भूमि के स्वामित्व/अन्य किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्तन होने के कारण आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि या कोई नवीन तथ्य प्रकाश में आने की स्थिति में नगर निगम की पुनः अनापत्ति आवश्यक होगी।

मुख्य वास्तुविद्
नगर निगम लखनऊ।

प्रतिलिपि-1 - श्री मनोज सिंह चौहान डेवलपर्स मेसर्स ओरो रियल इन्फ्रा एल0एल0पी0 द्वारा समूह आवास खसरा सं0-790, 791, 792ख, 864, 866, 867 पार्ट आफ लैण्ड खसरा नं0-784 स्थित ग्राम सरसवां तहसील-सरोजनी नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वास्तुविद्
नगर निगम लखनऊ।

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता-अर्जन,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सेवा में

अधिशाली अभियन्ता-मानचित्र सेल,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

पत्रांक:- 234/ए0सी0/प्र0/2024


दिनांक 01-3-2024


विषय:-मनोज सिंह चौहान खसरा संख्या-784(पार्ट), 790(पार्ट), 791(पार्ट), 792ख, 864, 866 व 867 ग्राम-सरसंवा लखनऊ पर प्रस्तावित गुप हाउसिंग मानचित्र की आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधिशाली अभियन्ता मानचित्र सेल के पत्रांक संख्या-एल0डी0ए0/बी0पी0/21-22/2499/एन0ओ0सी0 दिनांक 22.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से खसरा संख्या-784(पार्ट), 790(पार्ट), 791(पार्ट), 792ख, 864, 866 व 867 ग्राम-सरसंवा लखनऊ पर प्रस्तावित मानचित्र पर आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि अर्जन अनुभाग के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रश्नगत खसरा संख्या-784(पार्ट), 790(पार्ट), 791(पार्ट), 792ख, 864, 866 व 867 ग्राम-सरसंवा लखनऊ का अधिग्रहण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान समय में नहीं किया गया है, परन्तु महायोजना-2031 के अंतर्गत स्थित है।


(अभिषेक निषाद)
अमीन


(महेन्द्र प्रताप सिंह)
अनुभाग अधिकारी


26/02/24
(के0पी0 गुप्ता)

सहायक अभियन्ता-अर्जन

प्रतिलिपि:-श्री मनोज सिंह चौहान खसरा संख्या-784(पार्ट), 790(पार्ट), 791(पार्ट), 792ख, 864, 866 व 867 ग्राम-सरसंवा लखनऊ, को सूचनार्थ प्रेषित।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक, आर्च कम प्लानिंग असिस्टेंट, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, गोमती नगर लखनऊ। संख्या-1068/एपीओ/24 दिनांक-13-08-2024	सेवा में, श्री मनोज सिंह चौहान पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह, पता-5/566, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
---	--

विषय-भू-उपयोग प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लखनऊ विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र ऑनलाइन आवेदन संख्या-LDA/BP/21-21/2499 के सापेक्ष भू-उपयोग प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06.08.2024 एवं संलग्न अभिलेख/प्रपत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार प्रश्नगत स्थल खसरा संख्या 784P, 790P, 791P एवं 792P (क्षेत्रफल 9502.00 वर्गमी०) स्थित ग्राम सरसवां, तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ का प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 के अन्तर्गत भू-उपयोग प्रमाण पत्र चाहा गया है। सन्दर्भित स्थल के क्षेत्रफल के आधार पर आगणित भू-उपयोग सूचना संबंधी शुल्क चालान संख्या 100493203 दिनांक 02.08.2024 के द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा करते हुए चालान की प्रति उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2024 के साथ उपलब्ध करायी गयी है।

तदक्रम में अवगत कराना है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र में दर्शित की-प्लान में अंकित दूरियों के अनुसार कथित स्थल अहिमामऊ चौराहे से पश्चिम दिशा की ओर 1136.44मी० की दूरी के उपरान्त महायोजना मार्ग के दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 (सन्शोधित कन्वर्जन) के अनुसार कथित स्थल के सम्मुख स्थित मार्ग की चौड़ाई 76.0मी० है, जिसके अनुसार मार्ग के मध्य से 38.00 मी० दूरी तक सडकविस्तार/मार्गाधिकार क्षेत्र छोड़ने के उपरान्त अवशेष स्थल का भू-उपयोग प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 (सन्शोधित कन्वर्जन) में आवासीय अंकित है।

उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत स्थल का तलपट मानचित्र यदि सक्षम अधिकारी से स्वीकृत है तो सन्दर्भित स्थल का भू-उपयोग उक्त तलपट मानचित्र के अनुरूप अनुमन्य होगा एवं उक्त भू-उपयोग की जानकारी इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब/नदी/नाला/ नहर/जलाशय/वन/चकरोड/नाली का भू-उपयोग महायोजना मानचित्र में अन्य किसी भू-उपयोग के अन्तर्गत अंकित किया गया हो तब भी उसका भू-उपयोग तालाब/नदी/नाला/नहर/ जलाशय/वन/चकरोड/नाली माना जायेगा।

उपरोक्त सूचना इस शर्त के साथ प्रेषित है कि आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में (प्रश्नगत स्थल के सापेक्ष) दर्शित की-प्लान/साइट प्लान व नजरी-नक्शे में अंकित दूरियों एवं उपर्युक्त वर्णित दूरियों में किसी प्रकार की असमानता/भिन्नता हुई तो उक्त सूचना निरस्त मानी जायेगी। इसके साथ यह भी अवगत कराना है कि यदि आप द्वारा विकास प्राधिकरण में भविष्य में मानचित्र प्रस्तुत किया जाता है तो भू-उपयोग प्रमाण पत्र पृथक से प्राप्त किया जाना होगा।

भवदीय

आर्च कम प्लानिंग असिस्टेंट

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य नगर नियोजक महोदय को अवलोकनार्थ।
2. अधिशासी अभियन्ता-नियोजन को सूचनार्थ प्रेषित।

आर्च कम प्लानिंग असिस्टेंट

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/127451/LCK/LUCKNOW/6093/JD

दिनांक: 07-08-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ORO REAL INFRA LLP** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KHASRA . 784P 790P 791P 792 KHA P VILLAGE SARASWAN, SULTANPUR ROAD, LUCKNOW** तहसील - **SAROJINI NAGAR** प्लॉट एरिया **9502.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **37878.51** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **2** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
TOWER A	26	2	86.10 mt.
TOWER B	27	2	89.40 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **ORO REAL INFRA LLP** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **ORO REAL INFRA LLP** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : अग्निशमन अधिकारी /मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय भौतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या व अपलोडिड मानचित्रों के अनुसार सम्बन्धित सक्षम सत्ता प्राधिकारी को यह प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त भवन के अध्यासन/ प्रयोग से पूर्व समस्त अग्निशमन व्यवस्थाएं उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 तद्वर्धीन नियमावली-2024 NBC-2016 के अनुसार अधिष्ठापित कराया जाना अनिवार्य है, यदि भवन स्वामी द्वारा बिना व्यवस्थाओं के अध्यासन किया जाता है, तो भवन के असुरक्षित अध्यासन हेतु सत्ता प्राधिकारी निगरानी रखे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Aman Sharma)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 17-08-2024
स्थान : LUCKNOW

[A0269865B740788D0DE1F7D7C6707A357F263D40]

17-08-2024

श्रीमानजी

वेल्सन फ्लॉक सं- LDM/DP/21-22/2499/NOC, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ,

दिनांक: 22 जनवरी 2022, जो कि ग्राम सत्तवां की गाटा संख्या- 783, 784, 790, 791, 792, 864, 866, 867 आदि, अविद्यक मनोज सिंह चौधर के अविद्यक आबत ग्रुप टाइटिलिंग प्रोसेस के मानचित्र की आयक्ति/आपक्ति स्वतः किये जाने के सम्बन्ध में है, की जांच की गई जाँचीपरास्त आरक्षण निम्नवत् है:

ग्राम-सरसवां, परगना-लखनऊ, तहसील-सरोजनीनगर, उपखण्ड-लखनऊ की वंशमानसूची की खाता सं- 138 पर दर्ज गाटा सं- 866/0.776 है, खाता सं- 137 पर दर्ज गाटा सं- 864/1.232 है, खाता सं- 136 पर दर्ज गाटा सं- 791/1.991 है, 783/0.107 है, 784/0.5 खाता सं- 133 पर दर्ज गाटा सं- 790/0.202 है व खाता सं- 135 पर दर्ज ग्रामि गाटा सं- 792ख/0.061 है पर अविद्यक मनोज सिंह चौधर पुत्र प्रियनाथ सिंह आदि, नि:शुल्क सातवां के नाम वतौर सदस्यवैर संक्रमणीय श्रमिधर के रूप में दर्ज है। पत्र में उल्लिखित गाटा संख्या- 867/0.126 है खाता सं- 708 पर सरजूबेई पत्नी रामशंकर आदि, नि:शुल्क सातवां के नाम संक्रमणीय श्रमिधर के रूप में दर्ज है। गाटा सं- 867/0.126 है आदेश उपजिलाधिकारी/सहायक (प्रमुख) सहायक लखनऊ वाद सं- 30/08-09, सरजूबेई काम उठपठ साका, धारा-143 के अन्तर्गत अविद्यक चौधर है, जिसका आदेश संलग्न खतों में पर अंकित है। उक्त गाटे के भूस्वत्व के सम्बन्ध में अविद्यक द्वारा 'बेनामे' की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जो कि सत्य में संलग्न है। निम्न श्रुत आदेश द्वारा किये गये गुरु उर्फ गुरु देवी कमी स्व.श्रीमदकाश पुत्री शर्मिष्ठा से सम्पूर्ण अंश का हूय किया गया है। प्रस्तावित भूमि उक्त गाटे में है गाटा सं- 784, 790, 791 864, 866, 867 के अंश पर स्थित है। उक्त गाटे के अन्तर्गत के सम्बन्ध में 'मायालय सिफिल जज (सीबीजे) लखनऊ के हूयवादा सं- 228/2021 के आदेश की दृष्टि से सत्य में संलग्न है। प्रस्तावित भूमि जो कि पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि में ग्राम समाज, खंजर आदि की भूमि शामिल नहीं है। उक्त गाटे की जांच-चूआ पर पाव 45 की काम प्रति सत्य में संलग्न है। ग्राम सत्तवां वंशमान में नगर निगम लखनऊ सीमा के अन्तर्गत ग्राम है। अन्त-नगर सत्तवां वंशमान में आरक्षण सादर सेवा में प्रेषित।

- ① खतों में
- ② CH-पाव 45।
- ③ गाँव के जमीनशाह।
- (शुद्ध लिखित भाषा)
- ④ गाटा सं- 867 के 'बेनामे' की दृष्टि से।
- ⑤ सिविल-मायालय के आदेश की दृष्टि से।

शुद्ध सरसवां का सरसवां सं- 1359 फं. में गाटा सं- 1196 क्षेत्रफल 29-0-0 (बीघर), 1197 क्षेत्रफल 0-11-0-0 (बीघर) 2 भागिशीर 1180 क्षेत्रफल 0-12-0-0

बहादुर सिंह
 विवेक
 निष्पक्ष नगर निरक्षक
 नगर निरक्षक
 10/03/2024
 16-3-2024
 शिव प्रकाश श्रीवास्तव
 राजस्व निरीक्षक
 तह0 सरोजनी नगर लखनऊ

६ बीघा बाग, 1194 क्षेत्रफल 0-15-0-0 (बीघा) लक्ष्मी 1195 क्षेत्रफल
 2-11-0-0 (बीघा) नरसिंह प्रसाद, 1200 क्षेत्रफल 0-4-0-0 (बीघा)
 दुर्गा, 1201 क्षेत्रफल 1-9-0-0 (बीघा) शिवप्रसाद सिंह, 1202
 क्षेत्रफल 0-3-0-0 (बीघा) शिवप्रसाद सिंह, 1203 क्षेत्रफल 0-9-0-0 (बीघा)
 गदा सिंह, 1204 क्षेत्रफल 1-3-0-0 (बीघा) शिवप्रसाद सिंह, 1205 क्षेत्रफल
 0-13-0-0 (बीघा) मुनेश्वर सिंह, 1206 क्षेत्रफल 0-1-0-0 (बीघा) शिवप्रसाद
 सिंह, 1207 क्षेत्रफल 0-9-0-0 (बीघा) शिवप्रसाद सिंह, 1210 क्षेत्रफल
 नरसिंह परसाद दर्जा
 द्वारा सेवा में प्रेषित है।

विजय प्रसाद नरसिंह
 संबद्ध 20 गा. म. म. म. म.
 16-3-2024

नोट :- पृथक् गा. में से गा. सं. 864/1-2 अंश व गा. सं. 866/0-7 अंश के सम्बन्ध में
 जी. चं. आका. पत्र-45 के अन्तर्गत सं. 88 पर सी. लि. के सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय
 द्वारा जारी की गई याचिका सं. 5830/9-र. के दायरे में आदेश बनी है। पृथक् याचिका/वाद
~~के~~ में मा. उच्च न्यायालय द्वारा जारी ^{98-र.र.के} आदेश/निर्णय की प्रती अपेक्षित है।

श्री
 04/04/2024

अग्रजानी
 04/04/2024
 तहसीलदार
 सरोजनी नगर, लखनऊ

गा. म. म. म. म.
 गा. म. म. म. म.
 गा. म. म. म. म.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

LUCK/NORTH/B/032324/955282

एयआई | आर. एच. कंत्र. | एन आर. | एटीएन | एनओसी | 2024/248/939-942

मालिक का नाम एवं पता

ORO Real Infra LLP

दिनांक/DATE:

05-04-2024

OWNERS Name & Address

8th Floor, Eldeco Corporate Tower, Vibhuti
Khand, Gomti Nagar, Lucknow 226010

वैधता/ Valid Up to:

03-04-2032

ऊँचाई की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) No Objection Certificate for Height Clearance

1) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुक्रम तथा सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन हेतु भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) की अधिसूचना जी. एस. आर. 751 (ई) दिनांक 30 सितम्बर, 2015, जी. एस. आर. 770 (ई) दिनांक 17 दिसंबर 2020 द्वारा संशोधित, के प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है।

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep.2015 amended by GSR770(E) dated 17th Dec 2020 for safe and Regular Aircraft Operations.

2) इस कार्यालय को निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है।

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी / NOC ID	LUCK/NORTH/B/032324/955282
आवेदक का नाम / Applicant Name*	Bimal Kumar Srivastava
स्थल का पता / Site Address*	Khasra No. 784P, 790P, 791P, 792KhaP, 864P, 866P and 867 Village-Saraswan, Tehsil-Sarojni Nagar, District-Lucknow-226002, Sarjni Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh
स्थल के निर्देशांक / Site Coordinates*	26 48 16.12N 80 59 30.42E, 26 48 15.57N 80 59 32.88E, 26 48 12.35N 80 59 33.37E, 26 48 13.67N 80 59 34.43E, 26 48 20.06N 80 59 34.82E, 26 48 14.00N 80 59 35.36E, 26 48 10.75N 80 59 35.72E, 26 48 14.32N 80 59 35.76E, 26 48 19.14N 80 59 36.31E, 26 48 12.36N 80 59 38.24E
स्थल की ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर), (जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया) / Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	112.54 M
अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर) / Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level (AMSL)	262.54 M



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

LUCK/NORTH/B/032324/955282

* जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया / As provided by applicant*

3) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन है: -
3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

क) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक को, प्रस्तावित संरचना हेतु अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई जारी करने के लिए प्रयोग किया गया है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक की यथार्थता का ना तो उत्तरदायित्व वहन करता है, और ना ही इनको प्रमाणीकृत करता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि वास्तविक विवरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से भिन्न है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अमान्य माना जाएगा तथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सम्बंधित विमान क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा एयरक्राफ्ट नियम 1994 (भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन कार्यवाही की जायगी।

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The officer in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994",

ख) अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन में आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निर्देशांक को सड़क दृश्य मानचित्र और उपग्रह मानचित्र पर अंकित किया गया है जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है। आवेदक / मालिक यह सुनिश्चित करे कि अंकित किए गए निर्देशांक उसके स्थल से मेल खाते हैं। किसी भी विसंगति के मामले में, नामित अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.

ग) एयरपोर्ट संचालक या उनके नामित प्रतिनिधि, अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल (आवेदक या मालिक के साथ पूर्व समन्वय के साथ) का दौरा कर सकते हैं।

c. Airport Operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.

घ) संरचना की ऊँचाई (सुपर स्ट्रक्चर सहित) की गणना अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (ए एम एस एल) से स्थल की ऊँचाई को घटाकर की जायेगी। अर्थात्, संरचना की अधिकतम ऊँचाई = अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (-) स्थल की ऊँचाई।

d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

च) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, भारतीय एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, के सैक्शन 9-A तथा इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं तथा एयरक्राफ्ट नियम (1994 भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन है।

e. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including, "The Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994".

छ) कोई भी रेडियो/ टीवी एन्टीना, लाइटनिंग अरेस्टर, सीढिया, मुमटी, पानी की टंकी अथवा कोई अन्य वस्तु तथा किसी भी प्रकार के संलग्नक उपस्कर पैरा 2 में उल्लेखित अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई से ऊपर नहीं जानी चाहिए।

f. No radio/TV Antenna, lightening arresters, staircase, Mumty, Overhead water tank or any other object and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation as indicated in para 2.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

LUCK/NORTH/B/032324/955282

ज) विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु के 8 KM के भीतर तेल, बिजली या किसी अन्य ईंधन का उपयोग जो उड़ान संचालन के लिए धुएं का खतरा पैदा नहीं करता है, ही मान्य है।
g. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operation is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point

झ) यह प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तारीख से 8 साल की अवधि के लिए वैध है। एक बार रिवेलीडेशन की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि इस तरह का अनुरोध एनओसी की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाए और प्रारंभिक प्रमाणपत्र 8 साल की वैधता अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए।
h. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue. One-time revalidation shall be allowed, provided that such request shall be made within six months from the date of expiry of the NOC and commencement certificate is obtained within initial validity period of 8 years.

ट) भवन के निर्माण के दौरान या उसके बाद किसी भी समय स्थल पर ऐसी कोई भी लाइट या लाइटों का संयोजन नहीं लगाया जाएगा जिसकी तीव्रता, आकृति या रंग के कारण वैमानिक ग्राउन्ड लाइटों के साथ भ्रम उत्पन्न हो। विमान के सुरक्षित प्रचालन को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि मान्य नहीं होगी।
i. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.

ठ) आवेदक द्वारा विमानपत्तन पर या उसके आसपास विमान से उत्पन्न शोर, कंपन या विमान प्रचालन से हुई किसी भी क्षति के विरुद्ध कोई शिकायत/दावा नहीं किया जाएगा।
j. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

ड) डे मार्किंग तथा सहायक विद्युत आपूर्ति सहित नाइट लाइटिंग (डीजीसीए भारत की वेबसाइट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध) नागर विमानन आवश्यकताएं श्रंखला 'बी' पार्ट I सेक्शन-4 के चैप्टर 6 तथा अनुलग्नक 6 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।
k. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DGCA India website:

www.dgca.nic.in

ढ) भवन के नक्शे के अनुमोदन सहित अन्य सभी वैधानिक अनापत्ति, संबंधित प्राधिकरणों से लेना आवेदक की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस ऊँचाई हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का उद्देश्य सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन सुनिश्चित करना है तथा इसे भूमि के स्वामित्व आदि सहित किसी अन्य उद्देश्य/ दावे के लिए दस्तावेज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।
l. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is only to ensure safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

ण) इस अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी का मूल्यांकन Lucknow विमानक्षेत्रों के संबंध में किया गया है। यह अनापत्ति प्रमाणपत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विमानक्षेत्रों और अन्य लाइसेंस प्राप्त सिविल विमानक्षेत्रों, जो जी. एस. आर. 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची - III, अनुसूची - IV (भाग- I), अनुसूची- IV (भाग -2; केवल RCS हवाई अड्डे) और अनुसूची- VII में सूचीबद्ध हैं, के लिए जारी किया गया है।
m. This NOC ID has been assessed with respect to the Lucknow Airports. NOC has been issued w.r.t. the AAI Aerodromes and other licensed Civil Aerodromes as listed in Schedule - III, Schedule - IV(Part-I), Schedule- IV (Part-2; RCS Airports Only) and Schedule-VII of GSR 751(E) amended by GSR770(E)

क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर रंगपुरी, नई दिल्ली - 110037 दूरभाष संख्या - 91-11-25653566
Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpuri, New Delhi-110 037 Tel: 91-11-25653566






भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

LUCK/NORTH/B/032324/955282

क्षेत्र का नाम / Region Name:

उत्तर/NORTH

पदनामित अधिकारी/Designated Officer	 उत्पल दत्ता बरुआ/UTPAL DUTTA BARUAH महाप्रबंधक (एटीएम)/General Manager (ATM) उत्तरी क्षेत्र/ Northern Region भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/Airports Authority of India एन.ए.टी.एस.कॉम्प्लेक्स/इ.आ.अं हवाई अड्डा, नई दिल्ली-37 NATS Complex/IGI Airport, New Delhi-37
नाम/ पदनाम/दिनांक सहित हस्ताक्षर Name/Designation/Sign with date	
द्वारा तैयार Prepared by	 05/04/2024 Narendra Agr, AGM (ATM)
द्वारा जांचा गया Verified by	 05/04/2024 Yashwanth Sharan Jt. GM (ATM)

ईमेल आईडी / EMAIL ID : noc_nr@aai.aero

फोन/ Ph: 011-25653551

ANNEXURE/अनुलग्नक

Distance From Nearest Airport And Bearing/निकटतम विमानक्षेत्र से दूरी और बीयरिंग


Airport Name/ विमानक्षेत्र का नाम	Distance (Meters) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से दूरी (मीटर में)	Bearing(Degree) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से बीयरिंग (डिग्री)
Lucknow	11759.76	66.36
NOCID	LUCK/NORTH/B/032324/955282	




भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

LUCK/NORTH/B/032324/955282


Street View




March 23, 2024



Satellite View



March 23, 2024





लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

आपत्ति रहित / आपत्ति जनक / सूचना-पत्र

भवन विभाग से प्राप्त किये गये भवन चित्र पर सीलिंग विभाग की आख्या

पत्रांक— LDA/BP/21-22/2499/NOC

दिनांक—21.01.2022

- क(1) जिस भूमि पर निर्माण प्रस्तावित, सीलिंग भूमि नहीं है या नहीं ?
- क(2) आवेदक का नाम व पता श्री मनोज सिंह चौहान
खसरा संख्या—784(भाग), 790, 791 792ख, 864, 866, 867 ग्राम—सरसवाँ, सरोजनी नगर, लखनऊ।
- ख भूमि का नियोजित प्लॉट संख्या क्षेत्रफल तथा योजना वर्ष खसरा संख्या—784(भाग), 790, 791 792ख, 864, 866, 867 क्षेत्रफल 16,489.89 वर्गमीटर, ग्राम—सरसवाँ, तहसील—सरोजनी नगर, जनपद—लखनऊ।
1. भूमि के लीज की तिथि तथा पट्टेदार का नाम X
 2. भू-हस्तान्तरण की दशा में भूमि के विक्रय की तिथि तथा क्रेता का नाम X
 3. लीज का प्रयोजन आवासीय/वाणिज्यिक/शैक्षिक अथवा अन्य X
 4. लीज पर दी गई भूमि का क्षेत्रफल X
 5. क्या लीज का रिनीवल होना था, रिनीवल हुआ या नहीं, यदि रिनीवल हो गया हो तो किन नामों से तथा कब हुआ? X
 6. लीज भूमि का किराया कब तक का जमा है? X
 7. लीज की भूमि पर किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति है या नहीं? X
 8. क्या लीज पर पहले से भवन निर्मित है? तो क्या प्रस्तावित निर्माण उससे अलग है तथा क्या ऐसी अनुमति पट्टे में है? X
 9. पट्टे में भवन निर्माण कितनी अवधि में पूर्ण करा लेने की शर्त थी? जो निर्माण प्रस्तावित किया जा रहा है वह निर्धारित अवधि के अन्दर है या नहीं? X
- ग— अनापत्ति "सूचना-पत्र"

खसरा संख्या—784(भाग), 790, 791 792ख, 864, 866, 867 ग्राम—सरसवाँ, तहसील—सरोजनी नगर, जनपद—लखनऊ, क्षेत्रफल 16,489.89 वर्गमीटर, अर्बन सीलिंग भूमि नहीं है।

डिस्पैच नम्बर 118/1850 (सीलिंग/पत्र)/22 दिनांक 27/4/22

118/4/22

लखनऊ विकास प्राधिकरण

26/4/22
आरुणा शर्मा
जे.एस.डी. विभाग
लखनऊ

26/04/22
श्रद्धा चौधरी
तहसीलदार सीलिंग अनुभाग
लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक, नजूल अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।	सेवा में, श्री मनोज सिंह चौहान, खसरा संख्या-784(भाग), 790, 791 792ख, 864, 866, 867 ग्राम-सरसवॉ, लखनऊ।
संख्या : 57/130-10 का/22 दिनांक : 02/03/2022	

: विषय :

भवन मानचित्र हेतु आपत्ति/अनापत्ति के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आनलाइन प्रस्तुत पत्र संख्या-LDA/BP/21-22/2499/NOC दिनांक 08.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से खसरा संख्या-784(भाग), 790, 791 792ख, 864, 866, 867 ग्राम-सरसवॉ, लखनऊ पर मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु नजूल विभाग से आपत्ति/अनापत्ति चाही गयी है।


अवगत कराना है कि विभागीय अभिलेखानुसार मानचित्र हेतु प्रस्तावित ग्राम-सरसवॉ, लखनऊ की खसरा संख्या-784(भाग), 790, 791 792ख, 864, 866, 867 क्षेत्रफल 16,489.89 वर्गमीटर भूमि नजूल नहीं है। अतः मानचित्र स्वीकृत किये जाने में नजूल विभाग को आपत्ति नहीं है।

सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय


(अरविन्द त्रिपाठी)
नजूल अधिकारी

प्रतिलिपि-अधिशायी अभियंता, मानचित्र सेल को सूचनार्थ प्रेषित।


(अरविन्द त्रिपाठी)
नजूल अधिकारी



जलकल विभाग

नगर निगम, लखनऊ — 226001

प्रेषक : अधिशारी अभियन्ता, जोन-प्रथम जलकल विभाग, नगर निगम, लालबाग, लखनऊ। संख्या 1979/1581/JKVNN दिनांक 4/3/2023	सेवा में , अधिशारी अभियन्ता मानचित्र सेल, लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
---	---

विषय:- अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या-एल0डी0ए0/बी0पी0/21-22/2499/एन0ओ0सी0, दिनांक 22.01.2022, के द्वारा MANOJ SINGH CHAUHAN, KHASRA NO-790, 791, 792kha, 864, 866, 867, PART LAND OF KHASRA NO-784, VILLAGE- SARSAWAN, TEHSIL-SAROJNI NAGAR, LUCKNOW, पर प्रस्तावित भवन मानचित्र की अनापत्ति दिये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में अवगत कराना है कि MANOJ SINGH CHAUHAN, KHASRA NO-790, 791, 792kha, 864, 866, 867, PART LAND OF KHASRA NO-784, VILLAGE- SARSAWAN, TEHSIL-SAROJNI NAGAR, LUCKNOW, जलकल विभाग की पेयजल एवं सीवररेज व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क आदि देय नहीं है।

अतः उक्त प्रस्तावित मानचित्र को स्वीकृत किये जाने में जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ द्वारा अनापत्ति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि यदि भविष्य में स्थल के पास पेयजल एवं सीवर लाइन पड़ जाने के उपरान्त उपभोक्ता द्वारा संयोजन की माँग की जाती है, तो ऐसी दशा में उपभोक्ता को जलकल विभाग नगर निगम लखनऊ में विकास शुल्क इत्यादि देय होगा।

भवदीय,

अधिशारी अभियन्ता-1
जलकल विभाग नगर निगम
लखनऊ

जलकल विभाग नगर निगम, लखनऊ
दिनांक

पृ0सं0

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. MANOJ SINGH CHAUHAN, KHASRA NO-790, 791, 792kha, 864, 866, 867, PART LAND OF KHASRA NO-784, VILLAGE- SARSAWAN, TEHSIL-SAROJNI NAGAR, LUCKNOW ।

अधिशारी अभियन्ता-1
जलकल विभाग नगर निगम
लखनऊ



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

Validity Period :29/01/2025 To 28/01/2030

Category : RED

Application Id : 29713256

Ref No. -

Dated:- 30/04/2025

230004/UPPCB/Lucknow(UPPCBRO)/CTE/LUCKNOW/2024

To ,

Shri ATUL KUMAR SAXENA

M/s ORO REAL INFRA LLP

khasra No784(P), 790(P), 791(P) and 792Kha (P), village Saraswan, Tehsil Sarojini Nagar,

Lucknow, UP.

LUCKNOW

Sub : Consent to Establish for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of Water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 as amended.

Please refer to your Application Form No.- 29713256 dated - 30/12/2024. After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish (CTE) is granted subject to the compliance of following conditions :

1. Consent to Establish is being issued for following specific details :

A- Site along with geo-coordinates :

B- Main Raw Material :

Main Raw Material Details		
Name of Raw Material	Raw Material Unit Name	Raw Material Quantity
Building construction material	Metric Tonnes/Day	15

C- Product with capacity :

Product Detail	
Name of Product	Product Quantity
Group Housing Project:53562.15 sqm. Built-up Area	53562.15

D- By-Product if any with capacity :

By Product Detail			
Name of By Product	Unit Name	Licence Product Capacity	Install Product Capacity
NA	Metric Tonnes/Day	0	0

2. Water Requirement (in KLD) and its Source :

Source of Water Details		
Source Type	Name of Source	Quantity (KL/D)
Ground Water (within premises)	Borewell	103.0

3. Quantity of effluent (In KLD) :

Effluent Details	
Source Consumption	Quantity (KL/D)
Cooling	7.0
Others(Plantation)	4.0
Domestic	139.0

4. Fuel used in the equipment/machinery Name and Quantity (per day) :

Fuel Consumption Details		
Fuel	Consumption(tpd/kld)	Use

5 For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

2. You are directed to furnish the progress of Establishment of plant and machinery, green belt, Effluent Treatment Plant and Air pollution control devices, by 10th day of completion of subsequent quarter in the Board.
3. Copy of the work order/purchase order, regarding instruction and supply of proposed Effluent Treatment Plant/Sewerage Treatment Plant /Air Pollution control System shall be submitted by the industry till 28/01/2030 to the Board.
4. Industry will not start its operation, unless CTO is obtained under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and control of Pollution)Act, 1981 from the Board.
5. It is mandatory to submit Air and Water consent Application,complete in all respect, four months before start of operation, to the U.P. Pollution Control Board.
6. Legal action under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981 may be initiated against the industry With out any prior information,in case of non compliance of above conditions.

Specific Conditions:

1. This Consent to Establish is being granted to M/s ORO REAL INFRA LLP which consists of Group Houses 02 nos. Tower (Tower-A and Tower-B, 2 nos. Basement + Stilt + 26 Flor) total units 310 nos. (152 units in Tower-A and 158 units in Tower-B) at Khasra No. 784(P), 790(P), 791(P) and 792Kha (P), village-Saraswan, Tehsil-Sarojini Nagar, Lucknow. The total plot area 9156.45 sqm and built up area is 53562.15.
2. This CTE is valid for only the Group Housing Project. In Case of any change, enhancement, any construction etc. PP should obtain again Consent to establishment (CTE) certificate from the Board separately.
3. The PP shall ensure to comply the conditions mentioned in Environmental Clearance issued by SEIAA vide letter no. EC Identification no. EC24C3801UP542208N file no. 9349, SIA/UP/INFRA2/500635/2024 dated 22.12.2024.
4. The PP shall install Sewage Treated Plant of capacity 135 KLD in such a manner so that it can achieve the standard specified in the notification issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change vide GSR 1265 (E) dated 13-10-2017 in the time period as specified in the notification & treated water shall be used in flushing/horticulture/cooling etc.
5. The PP shall ensure to establish Miyawaki forest, as per the GO no. 1011/81-7-2021-09(writ)/2016 dated 13.10.2021 of Deptt. of Environment, forest and Climate Change.
6. The Order issued by Hon'ble Courts/Hon'ble NGT, MoEF & CC, Central Pollution Control Board, U.P. Pollution Control Board shall be complied with.
7. Project shall not start gaseous emission & sewage generation without obtaining CTO (Air and Water) from the Board.
8. The project proponent shall ensure to provide the proper exhaust from roof level along with acoustic enclosures on DG sets (capacity of 650 KVA and 500 KVA) as per prescribed standards.
9. The PP shall obtain NOC from UP Ground Water Department for abstraction of ground water within 03 months and submit in the Board.
10. The dust emission from the construction sites shall be completely controlled and all precautions shall be taken in that behalf.
11. All approach roads & in campus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission.
12. The project shall ensure to put tarpaulin scaffolding around the area of construction and the building for effective and efficient control of dust emission generated during construction of the project.
13. Storage of any construction material particularly sand shall not be done on any space outside the project area.
14. The project shall comply with the provisions of Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.
15. The construction material of any kind stored on site shall be fully covered in all respect so that it does not disperse in the air in any form. The dust emission from the construction sites shall be completely controlled and all precautions will be taken in that behalf.
16. All the construction material & debris shall be carried in trucks or vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or construction material does not get dispersed into the air or atmosphere in any form whatsoever.
17. The PP shall ensure to provide separate waste collection bin at each tower and install Organic Waste Converter for bio degradable waste in its premises before completion of project.
18. The project shall ensure to provide the proper Wind breaking wall constructed around the construction site.

19. The PTZ web cameras shall be installed on STP outlet. Online continuous monitoring system shall be installed for monitoring of treated water and provide the URL ID and password to the Board.

20. In case of installation of hotmix/ready mix plant, the prior permission shall be obtained from the Board.

21. Fixing of sprinklers and creation of green air barriers shall be done to control fugitive dust emission and improve environment. Compulsory use of wet jet in grinding and stone cutting shall be practiced.

22. The project shall comply with the provisions of Environment (Protection) Act 1986, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended, C&D Waste management Rule 2016, Plastic Waste Management Rules 2016, E- Waste (Management) Rules 2016, Solid Waste Management Rules 2016 & Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 (Whichever is applicable).

23. Project shall submit a bank guarantee of Rs. 10.0 Lakhs within 15 days for compliance of the above conditions no 1 to 22.

Please note that consent to Establish will be revoked, in case of, non compliance of any of the above mentioned conditions. Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions till 30/05/2025 in this office. Ensure to submit the regular compliance report otherwise this Consent to Establish will be revoked.

Rajendra Singh Digitally signed
by Rajendra Singh
Date: 2025.04.30
19:08:31 +05'30'
Chief Environmental Officer,
Circle-5, UPPCB

Dated:- 30/04/2025

Copy To -

Regional Officer, UPPCB, Lucknow.

Rajendra Singh Digitally signed
by Rajendra Singh
Date: 2025.04.30
19:08:42 +05'30'
Chief Environmental Officer,
Circle-5, UPPCB



मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली (Lifestyle For Environment) जनसहभागिता का सन्देश



- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाक्रीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |